उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-08/2021/4812/41-2020-74(बजट)/2020

लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2021

संख्या-275/2020/2352/41-2020-74(बजट)/2020 दिनांक 23 नवम्बर, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद-हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित ग्राम पंचायत पूठ एवं आलमनगर में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-275/2020/2352/41-2020-74(बजट)/2020 दिनांक 23 नवम्बर, 2020 के सन्दर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4852/6-1-11-1(1191)/2020-21 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति विषयक शासनादेश **के प्रस्तर-3** में त्रुटिवश लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-**800-अन्य व्यय-**41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा के स्थान पर लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-**104-संवर्धन तथा प्रचार**-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा अंकित हो गया है।

2. अतः एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-275/2020/2352/41-2020-74(बजट)/2020 दिनांक 23 नवम्बर, 2020 के **के प्रस्तर-3** में त्रुटिवश अंकित **"**लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-**104-संवर्धन तथा प्रचार**-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा**" को विलोपित करते हुये** उनके स्थान पर लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-**800-अन्य व्यय-**41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा **अंकित किया जाता है।**

3. शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-08/2020/4812(1)/41-2020-74(बजट)/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
8- प्रबन्ध निदेशक, कान्सट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ।
9- परियोजना प्रबन्धक, कान्सट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम), यूनिट-31 गाजियाबाद।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in